बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–1664/2015

उनवान

1 श्रीमति रजिया बानू उर्फ रशीदा बानू पुत्री स्व0 फैज मोहम्मद पत्नि चान्द मोहम्मद मुसलमान, निवासी कानिया, हाल बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला– अजमेर ।

–वादी

1 हबीब मोहम्मद पिता फेज मोहम्मद, नि0 कानिया , विजय कॉटन मिल के पीछे चन्द्रा कॉलोनी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला– अजमेर ।

2 हमीद मोहम्मद पिता फेज मोहम्मद , नि0 कानिया, विजय कॉटन मिल के पीछे चन्द्रा कॉलोनी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला– अजमेर ।

3 श्रीमति मैना पत्नि फेज मोहम्मद, नि0 कानिया, विजय कॉटन मिल के पीछे चन्द्रा कॉलोनी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला– अजमेर ।

4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हुरडा ।

5 उपपंजीयक महोद, पंजीयन कार्यालय, हुरडा ।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री रामदयाल जाट , वकील वादी
श्री सुरेश दाधीच , वकील प्रतिवादी, 1, 2 ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा–88, 89, 92 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक– 21.05.2018

1– वादीया के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मौजा कानिया तहसील हुरडा की खतोनी नम्बर– 894 आराजी नम्बर– 386, 387, 420 किता 3 रकबा 04 बीघा भूमि स्थित है ।

2– वादपत्र की चरण संख्या– 2 में वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के नाम पर दर्ज है । उक्त वर्णित आराजीयात वादीया के पिता की होकर वादीया की पैतृक आराजीयात है जिसमें वादपत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–2 को 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 3 का 1/4 हक हिस्सा निहित है । उक्त

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

आरीजयात वादीया प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 की पैतृक आराजीयात है । जिसमें वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है । उक्त आराजीयात जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 में वादीया के पिता फेज मोहम्मद के नाम दर्ज है ।

3– वादपत्र की चरण संख्या– 2 में वर्णित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 की पैतृक आराजीयात है जिस पर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 संयुक्त रुप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है , जिसमें वादीया का जन्म से ही हक अधिकार निहित है तथा वादीया एवं प्रतिवापदीगण अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है ।

4 दिनांक 26.07.2015 को प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 मौके पर आये व वादीया को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया, इस पर वादीया ने प्रतिवादीगण को कहा कि उक्त आराजीयात वादीया के पिता जी की होकर, वादीया की पैतृक होकर वादीया का जन्म से हक हिस्सा निहित है, जिसे बेदखल करने का कोई अधिकार नही है, इस पर प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने वादीया को कहा कि फैज मोहम्मद के देहान्त उपरान्त प्रतिवादी संख्या–1 से 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने दिया व प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली है । इस कारण वादीया को विवादित आराजीयात से जबरन बेदखल करके रहेगें व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तातरण/ खुर्द बुर्द करके ही रहेगे । जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है । इस कारण से वादीया को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है ।

5 प्रतिवादीगण वादीया को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तातरण / खुर्द बुर्द कर देगे तो वादीया को अपूरर्णीय क्षति होगी व वादीया अपनी पैतृक आराजीयात से वंचित हो जायेगी जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई सम्भव नही होगा । इस कारण से वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आश्वयक है ।

6 वादपत्र की चरण संख्या– 2 में वर्णित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 तीन की पैतृक आराजीयात है, जिसमें वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादीया का वादपत्र की चरण संख्या– 02 मे वर्णित आराजीयात में 1/4 हक हिस्सा निहित है और वादीया राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के साथ अपना नाम अंकन कराने व खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारीणी है तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है ।

7 वादीया को प्रतिवादीगण के विरुद्ध बिनाय बाद दिनांक 26.07.2015 से उत्पन्न होकर निरन्तर रुप से जारी है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

8 उक्त मामले मे प्रतिवादी संख्या– 4 से 5 राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया हे और कानूनन राज्य सकरार के विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा0 दी0 के तहत 2 माह की समयावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है और वादीया नोटिस देकर समायावधि व्यतीत होने तक इन्तजार करेगी तो इससें पूर्व ही प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तातरण / खुर्द बुर्द कर देगे व वादीया को बेदखल कर देगे तो वादीया का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जयोगां ।

9 अन्त में अंकित किया गया कि वादपत्र की चरण संख्या– 2 में वर्णित आराजीयात वादीया की पैतृक आराजीयात है , जिसमें वादीया का जन्म से हक हिस्सा निहित है तथा वादीया का वादपत्र की चरण संख्या– 2 में वर्णित आराजीयात में 1/4 हक हिस्सा निहित है और वादीया राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के साथ साथ अपना नाम अंकन कराने व खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारीणी है तद्नुसार घोषणात्मक डिकी बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें । बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वादीया को वादग्रसत आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा वादीया के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावें।

10 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1, 2 की और से उनके अधिवक्ता श्री सुरेश दाधीच के द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर दिनांक 27.02.2017 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या–3 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 19.09.2016 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये । प्रतिवादी संख्या– 4, 5 की और से पैरोकारराज उपस्थित हुये जवाबदावा का अवसर चाहा गया ।

11 तत्पश्चात पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट कानिया पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात वादीया की मौरुसी आराजीयात होकर उनके पिता फैंज मोहम्मद के समय की है जिसमें वादीया का जन्मतः अधिकार निहित है । खातेदार फैंज मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि आराजी मुतदाविया में वादीया का हक हिस्सा निहित होकर व अपने हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है । प्रतिवादीगण अपने खाते के बल पर वादीया को उसके हक हिस्से की आराजीयात से बेदखल कर आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । जिसके लिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

अन्त मे कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादीया को 1/4 हक हिस्से से खातेदार घोपित फरमाया जावें।

12 जबकि वकील प्रतिवादीगण का कथन था कि वादीया एवं प्रतिवादी 01 से 03 मुस्लिम सम्प्रधाय से शासित होते है, एवं वादीया मुस्लिम विधि के तहत ही अपना वाद प्रस्तुत कर अपना हक हिस्सा मांग सकती है। वादीया ने विधि के विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

13 मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । वहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से है–

14 पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 मौजा कानिया की आराजी नम्बर– 387 रकवा 03 बीघा 11 विस्वा भूमि तथा आराजी नम्बर– 480 रकवा 05 विस्वा भूमि कुल रकवा 03 बीघा 16 विस्वा भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या– 782 दिनांक 12.11.1997 से फैज मोहम्मद वल्द अब्दुला खॉ कोम मुसलमान साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार आराजी नम्बर– 387 व 420 अन्य आराजी नम्बर– 386 के साथ हबीब, हमीद, पिता फैज मोहम्मद मुस्मात मैना बानू, बेवा फैज मोहम्मद, कौम मुसलमान साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

15 यहॉ वादीया का कथन है कि आराजी मुतदाविया उनके पिता फैज मोहम्मद के खातेदारी की है जिसमें उसका 1/4 हक हिस्सा निहित है। वादीया ने अपने वादपत्र में आराजी नम्बर– 386 रकवा 04 बिस्वा को भी अपने पिता की होना बताया है किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2051–2054 के अनुसार वादीया के फेज मोहम्मद के द्वारा आराजी नम्बर– 387 व 420 को ही विकय पत्र से खरीद किया है। इस प्रकार वादीया आराजी नम्बर– 386 में कोई हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। चुॅकि यहॉ निर्विवाद है कि वादीया मृतक खातेदार फैज मोहम्मद की पुत्री है। वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि हबीब, हमीद पिता फैज मोहम्मद व मुस्मात मैना बानू बेवा फैज मोहम्मद के नाम ही दर्ज रिकार्ड हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीया आराजी मुतदाविया में हक घोषणा करवाये जाने की अधिकारिणी पाये जाने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दावा वादी डिकी किया मौजा कानिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 387, 420 किता 2 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा भूमि में वादीया को 1/4 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे । तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक

Scanned by CamScanner

21.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कानिया पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner